न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1032–दो/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.5.11 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्र.क्र. 366/अ–6/95–96.

श्रीमती रामबाई पत्नि बिहारीलाल पण्डोरिया
निवासी वार्ड नं. 12 वारा सिवनी
तहसील वारा सिवनी जिला बालाघाट ------ आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती पार्वतीबाई पति जयशंकर
निवासिनी वार्ड नं. 12 वारा सिवनी तह. वारा सिवनी
जिला बालाघाट
2– श्रीमती मीनाबाई पत्नी तुलसीराम सेक्टर नं. 1
भिलाई
3– रमेश पिता दमणुसाव
निवासी भण्डारा के उत्तराधिकारी
अ– श्रीमती छाया पत्नी अनील
सां. ग्राम चिंचली गाडरवाडा, नरसिंहपुर
ब– भोलाप्रसाद पिता रमेश
सा. मुरदाड़ा तह. गोदिंया
जिला गोंदिया महराष्ट्र
स– संजू पिता रमेश
सां. मुरदाड़ा तह. जिला गोंदिया महाराष्ट्र
द– कु. शोभा पुत्री रमेश
सां. मुरदाड़ा तह.व जिला गोंदिया ------ अनावेदकगण

श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अधिवक्ता, आवेदक ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 06 अगस्त, 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 366/अ–6/95–96 में पारित आदेश दिनांक 24–5–11 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व

संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा संशोधन पंजी कमांक 15 ग्राम बारा में दिनांक 11.4.91 को गंगाबाई बेवा चंदनलाल का नाम प्रमाणित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क. 1 पार्वतीबाई द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई, जो उन्होंनेआदेश दिनांक 30.1.95 द्वारा अवधि बाह्य मानकर निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वे संहिता कीधारा 110 एवं उसके तहत निर्मित नामांतरण नियमों का अक्षरशः पालन करते हुए पुनः विधिवत आदेश पारित करें । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । लिखित बहस के साथ उनके द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 वारा सिवनी द्वारा व्यवहार वाद क 40अ/2008 (पारबती बाई विरूद्ध रामबाई आदि) में पारित आदेश दिनांक 23–2–11 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है ।

4– अनावेदकगण प्रकरण में एक पक्षीय हैं ।

5– आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण का होकर नामांतरण में समस्त हितबद्ध पक्षकारों को संसूचित किए बिना आदेश पारित किए जाने के कारण अपर आयुक्त ने संशोधन पंजी पर प्रमाणित नामांतरण एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण समस्त हितधारी व्यक्तियों को सूचना देने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही के लिए प्रत्यावर्तित किया है । विधि की दृष्टि से आलोच्य आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है । प्रकरण का निराकरण अभी विचारण न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अपर आयुक्त के आदेश के अनुसार विधिवत निराकरण हेतु विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है । आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के जिस आदेश का हवाला

दिया गया है उसकी प्रमाणित प्रति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करें तहसीलदार को भी निर्देश दिए जाते हैं कि प्रकरण में कार्यवाही करते समय व्यवहार न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया जाये ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर